

फर्द अहकाम  
न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर  
प्रभात बनाम हनुमान वगै0

स संख्या : इजराय 01/2021

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	विशेष विवरण
15.01.2025	<p>पत्रावली प्रस्तुत। तहसीलदार रामपुरा डाबडी से निर्णय व डिक्री की पालना में मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन आदेश लगा हुआ है, जिसके कारण निर्णय व डिक्री की पालना संभव नहीं हैं।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया चूंकि वर्तमान में राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन आदेश लगा हुआ है, अतः इस पत्रावली की कार्यवाही स्थगन के कारण स्थगित कि जाती है। प्रार्थीगण स्थगन आदेश हटने पर निर्णय व डिक्री की पालना करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	



सहायक कलक्टर  
आमेर मु0 जयपुर



# फर्द अहकाम

बृजमोरु बनाम राधेश्याम

नाम न्यायालय ACM डी.एम. जयपुर

केस संख्या 12/2017 (199)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	14 <sup>11</sup> / <sub>24</sub>	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एंड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किया जाने से पत्रावली पूर्णानुसार दिनांक... 29/11/24 को पेश हो।
	29/11/24	पत्रावली पेश हुई। व. फ. उप., पत्रावली अधिक आदेश..... अनुसार आगामी पेशी दिनांक... 16/12/24 को पेश हो।
	16 <sup>12</sup> / <sub>2024</sub>	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एंड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किया जाने से पत्रावली पूर्णानुसार दिनांक 01/12/24 को पेश हो।
	10 <sup>1</sup> / <sub>25</sub>	पत्रावली प्रस्तुत (वे.फ. उप.) तहसीलदार रामपुरा शर्मा द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार ने रिपोर्ट के साथ वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बखत वाड को विज्ञा कर लेने तकाना करवाना नहीं चाहा पेश किया है। तथा तहसीलदार रामपुरा शर्मा ने भी यही मौका रिपोर्ट लेनी है वकील वाड को कोने बलात्ता तकाना करवाना नहीं चाहा है अतः प्रस्तुत तहसीलदार रामपुरा शर्मा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व प्रार्थना पत्र के माध्यम से वाड विज्ञा किया जाता है तथा विज्ञा के माध्यम से वाड को विज्ञा किया जाता है। पत्रावली केवल शुभ होना चाहिए।

Keddi  
पृ. 3-8  
25/11/24

सहायक कलक्टर  
आमेर म. जयपुर